प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 437/2006

कैलाश राउत

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील संख्या 51/2008

अशोक कुमार कुजूर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 10/8/2009 को सूचीबद्ध

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 437/2006

अपीलकर्ता (कारागार में): कैलाश राउत पिता संतु राउत, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम सुसदेगा, थाना पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

एवं

दांडिक अपील संख्या 51/2008

अपीलकर्ता (कारागार में): अशोक कुमार कुजूर, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री झंगुराम कुजूर, व्यवसाय चालक, निवासी ग्राम सुरेशपुर, थाना पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, थाना पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील)

(एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थित:

श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल, अधिवक्ता, दांडिक अपील संख्या 437/2006 में अपीलकर्ता की ओर से

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता, दांडिक अपील संख्या 51/2008 में अपीलकर्ता अशोक कुमार कुजूर की ओर से

राज्य/प्रत्यर्थी हेतु श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 10 अगस्त 2009 को उद्घोषित)

1. कैलाश राउत द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 437/2006 तथा अशोक कुमार कुजूर द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 51/2008, विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), जशपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण संख्या 10/2005 में दिनांक 17.4.2006 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के आदेश से उद्‌भूत हुई हैं, अतः इन्हें इस समान निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त दांडिक अपीलें विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), जशपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण संख्या 10/2005 में दिनांक 17.4.2006 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के पश्चात् प्रत्येक को दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया ।

3. दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्ष्य का एक कण भी न होने पर, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और दण्डित किया है तथा वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध शत्रुता के मामले और झूठी प्रथम सूचना प्रतिवेदन के कारण पर विचार नहीं किया है।

4. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 30.3.2005 को अभियोक्त्री (अ.सा.-1) जो लगभग 15 वर्ष की आयु की थी, ग्राम सुसदेगा से अपने ग्राम खरकट्टा, थाना पथलगांव सायं लगभग 5 बजे मैक्स वैन से आ रही थी। अभियुक्त अशोक कुमार वाहन चला रहा था। अभियुक्त कैलाश अभियोक्त्री के पास बैठा था। जब वे खरधोधी के पास पहुंचे, तो अभियुक्त अशोक ने वाहन रोका और उसे जबरदस्ती खींचकर जंगल के अन्दर ले गया। जब उसने अपने को बचाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसे गिरा दिया और अभियुक्त कैलाश ने उसके हाथ पकड़े और मुंह दबाया। अभियुक्त अशोक ने अपने कपड़े और अभियोक्त्री के कपड़े उतारने के बाद उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया। रात्रि लगभग 11 बजे अपराध कारित करने के बाद, अभियोक्त्री लछन साय के घर गई और उसे घटना के बारे में बताया। लछन ने अभियुक्त व्यक्तियों का पीछा किया लेकिन वे वाहन से भाग गए। अभियोक्त्री लछन के घर रुकी। दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 31.3.2005 को वह अपनी परीक्षा में शामिल हुई और स्कूल से आने के बाद उसने अपने पिता, चाचा और माता को घटना के बारे में बताया और दिनांक 1.4.2005 को दोपहर लगभग 1 बजे थाना पथलगांव में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई (प्रदर्श पी/1)। उसका अंडरवियर प्रदर्श पी/2 के रूप में जब्त किया गया। स्थल नक्शा प्रदर्श पी/3 के रूप में तैयार किया गया। उसकी अंकसूची और जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी/5 और पी/6) की छायाप्रति प्रदर्श पी/4 के रूप में जब्त की गई। अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. श्रीमती के. तिर्की (अ.सा.- 4) द्वारा प्रदर्श पी/9 के रूप में उसकी जांच की गई जहां उन्होंने उसके दोनों जबड़ों में 26 दांत पाए। स्तन अच्छी तरह विकसित थे। जघन बाल कम थे। उसके निजी अंग की जांच में, मूत्रमार्ग के आसपास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के क्षेत्र में सूजन और लालिमा पाई गई। हाइमन सूजी हुई थी। पीछे की ओर खरोंच मौजूद थी। वह दर्द होना बता रही थी। योनि स्मीयर की दो स्लाइड तैयार और सील की गईं। उसके साथ लैंगिक संभोग किया गया था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अशोक से एक वाहन प्रदर्श पी/8 के रूप में जब्त किया गया। वाहन के दस्तावेज भी प्रदर्श पी/10 के रूप में जब्त किए गए। अभियुक्त की जांच डॉ. पी. सुथार (अ.सा.- 7) द्वारा प्रदर्श पी/11 के रूप में की गई जिन्होंने राय दी कि अभियुक्त अशोक लैंगिक संभोग करने में सक्षम है। पटवारी द्वारा नक्शा प्रदर्श पी/12 के रूप में तैयार किया गया। अभियुक्त अशोक का एक अंडरवियर प्रदर्श पी/7 के रूप में जब्त किया गया। स्लाइड प्रदर्श पी/21 के रूप में जब्त की गईं। सामग्री को चिकित्सीय विश्लेषण के लिए भेजा गया।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अधीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अन्वेषण पूरा होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जशपुर की अदालत को उपार्जित किया, जहां से विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), जशपुर ने विचारण के लिए स्थानांतरण पर इसे प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के अपराध को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने 9 गवाहों का परीक्षण किया । अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोषता और झूठे आरोप में फँसाये जाने का दावा किया। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने बचाव गवाह लछन साय (ब.सा. -1) का भी परीक्षण करा है जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 30.3.2005 को सायं लगभग 5 बजे रोहित उनके घर आया था। वह बस के आने का इंतजार कर रहा था। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो किरण बस से आएगा। कुछ समय बाद लगभग 5.30 बजे एक सफेद रंग का मार्शल आया और अभियोक्त्री मार्शल वाहन से उतरी। रोहित अभियोक्त्री के साथ अपने गांव चला गया। घटना की तारीख पर, रोहित या अभियोक्त्री उनके घर नहीं रुके थे। खरकट्टा और खरधोधी के बीच की दूरी लगभग 1 किमी है। रोहित और अभियोक्त्री के प्रेम संबंध थे। रोहित पर रुपये 1500/- का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि पियो बाई के माता-पिता के बीच दहेज की संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था, जो कावल साय अर्थात् अभियोक्त्री के पिता की बहू है। अपने विस्तृत साक्ष्य में, लछन साय ने कहा है कि अभियुक्त व्यक्ति वहां नहीं आए थे और अभियोक्त्री अपने प्रेमी रोहित के साथ गई थी। कोतवार धुरसाई (ब.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियोक्त्री का नाम

जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है और पद्मा बाई का नाम जन्म रजिस्टर में मिलता है जो कावल साय की बेटी है। अपनी प्रति-परीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने जन्म रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की है।

7. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अभियुक्त अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और दण्डित किया।

8. मैंने श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल और श्री अभय तिवारी, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता और श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी को सुना है और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. श्री अभय तिवारी, अपीलकर्ता अशोक कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि वर्तमान अभियुक्त अशोक कुमार और सह-अभियुक्त ने कभी भी अभियोक्त्री को नहीं ले गया है और अशोक ने घटना की तारीख पर कोई अपराध नहीं किया है। अभियोक्त्री की भाभी ने अपने सामान के परिवहन के लिए एक वाहन किराए पर लिया था। वह भी अपनी भाभी और भाभी के अन्य रिश्तेदारों के साथ खरकट्टा गई थी। उन्होंने अपनी भाभी के दहेज के सामान को खरकट्टा से सुसदेगा तक पहुंचाया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस आधार पर कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उसकी भाभी के सामान का परिवहन किया था, उसने अपने रिश्तेदारों से सलाह लेने के बाद झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की तारीख पर वह प्रेमी रोहित के साथ गई थी और वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ साक्ष्य बनाने के लिए उसके साथ लैंगिक संभोग किया होगा। अभियोक्त्री का बयान विरोधाभास और त्रुटियों से भरा है, विश्वास को प्रेरित नहीं करता और भरोसेमंद नहीं है तथा इस पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अन्य गवाहों ने अभियोक्त्री के बयान की पुष्टि नहीं की है। बचावपक्ष को अभियोजन के मामले की तरह अपनी बचावपक्ष साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करना बचावपक्ष के भार को उतारने के लिए पर्याप्त है। बचावपक्ष ने लछन साय (ब.सा.-1) की जांच कराई है जो अभियोजन का गवाह है, लेकिन अभियोजन ने उसकी जांच नहीं कराई है। कारण अभियोजन को सबसे अच्छा पता है। लछन साय ने विशेष रूप से कहा है कि घटना की तारीख पर अभियोक्त्री अपने प्रेमी रोहित के साथ गई थी। वह कभी उसके घर नहीं रुकी और अभियोक्त्री ने उसे कोई घटना नहीं बताई। यह साक्ष्य अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करने और कहानी को संदिग्ध बनाने के लिए पर्याप्त है। अभियोजन अपराध की तारीख पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल, अपीलकर्ता कैलाश राउत के अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि अभियोजन के मामले के अनुसार केवल वर्तमान अपीलकर्ता उसी वाहन में बैठा था और सह-अभियुक्त अशोक कुमार ने अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संभोग किया था। अभियोक्त्री ने असंभाव्य कहानी कही है कि सह-अभियुक्त द्वारा लैंगिक संभोग के समय, वर्तमान अपीलकर्ता ने उसके हाथ पकड़े और मुंह दबाया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी असंभाव्य है। ऐसा लगता है कि केवल प्रश्नगत अपराध में अपीलकर्ता को झूठे तरीके से फंसाने के उद्देश्य से, अभियोक्त्री ने उसके खिलाफ गवाही दी है। विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन के मामले के अनुसार उसने अभियोक्त्री के साथ संभोग नहीं किया है। अभियोजन के मामले के अनुसार भी, उसका कार्य उसके सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में किए गए कार्य की श्रेणी में नहीं आता। अभियोजन की कहानी असंभावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल प्रश्नगत अपराध में अपीलकर्ता को झूठे तरीके से फंसाने के उद्देश्य से, अभियोक्त्री ने उसके विरुद्ध गवाही दी है। विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन के मामले के अनुसार उसने अभियोक्त्री के साथ संभोग नहीं किया है। अभियोजन के मामले के अनुसार भी, उसका कार्य उसके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किए गए कार्य की श्रेणी में नहीं आता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से निर्णय का समर्थन किया गया है।

12. पक्षकारों के तर्कों की विवेचन करने और प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को जोड़ने के लिए, मैंने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है। अपराध के समय अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, अधीनस्थ न्यायालय ने अंकसूची में दर्ज जन्म तिथि 7.2.90 के आधार पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम निर्धारित की है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में, अभियोजन पर हमेशा अत्याधिक भार होता है कि वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम सिद्ध करे। जन्म रजिस्टर (कोटवारी रजिस्टर) में जन्म तिथि की प्रविष्टि व्यक्ति की आयु निर्धारण के लिए निर्णायक प्रमाण है, लेकिन ऐसे साक्ष्य के अभाव में, न्यायालय को अभियोक्त्री की शारीरिक उपस्थिति, माता-पिता और अन्य व्यक्तियों के बयान जो व्यक्ति की जन्म तिथि के बारे में जानकारी रखते हैं, अस्थिकरण परीक्षा और स्कूल प्रवेश रजिस्टर में जन्म तिथि दिखाने वाली प्रविष्टि के आधार पर अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करनी होती है।

13. **सिधेश्वर गांगुली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[1] के संदर्भ में, शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकमात्र निर्णायक साक्ष्य जन्म प्रमाणपत्र हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से, इस देश में ऐसा दस्तावेज सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता। न्यायालय या जूरी को उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने होते हैं जो उस व्यक्ति की सभी शारीरिक विशेषताओं की जांच करने पर प्रकट होती हैं जिसकी आयु प्रश्नगत है, ऐसी मौखिक गवाही के साथ जो उपलब्ध हो सकती है।

14. निर्णायक साक्ष्य के अभाव में, आयु का निर्धारण अन्य परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री की आयु लगभग 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। कावल साय (अ.सा.-2) अभियोक्त्री के पिता ने अपनी पुत्री की आयु के संबंध में कुछ नहीं कहा है। डॉ. श्रीमती के. तिर्की (अ.सा.-4) ने अभियोक्त्री की जांच की और उसकी आयु 14 वर्ष आंकी। डॉ. श्रीमती के. तिर्की द्वारा प्रदर्श पी/9 के माध्यम से अभियोक्त्री की जांच की गई जिसमें डॉक्टर ने उसकी शारीरिक स्थिति इस प्रकार अभिलिखित की है:-

> "उसकी ऊंचाई 4 फीट थी, वजन 35 किलो था, छाती 31 सेमी थी। दांत 7-6/6-6, स्तन अच्छी तरह विकसित थे। जघन बाल कम थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उसकी अंकसूची की प्रति (प्रदर्श पी/5) को एस.आर. भगत (अ.सा.-9) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) द्वारा प्रदर्श पी/4 के माध्यम से जब्त किया गया था। अपराध की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम निर्धारित करने के लिए, अभियोजन ने अभियोक्त्री का कोई अस्थिकरण परीक्षा नहीं कराया है। अभियोजन ने स्कूल के प्रवेश रजिस्टर को भी जब्त नहीं किया है, स्कूल रजिस्टर में जन्म तिथि की प्रविष्टि करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षण नहीं किया है और ऐसी प्रविष्टि के आधार भी नहीं बताया है । वस्तुतः, इस मामले में, अभियोजन ने अंकसूची की छायाप्रति जब्त करने के अलावा कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया है। अभियोक्त्री के माता-पिता ने यह नहीं कहा है कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष से कम थी। दस्तावेज की छायाप्रति या जन्म तिथि वाली अंकसूची की छायाप्रति का जब्त करना स्वयं अभियोक्त्री की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अभियोक्त्री ने स्वयं कहा है कि वह लगभग 14 वर्ष की है और उसकी जन्म तिथि दिनांक 7.4.90 है लेकिन उसने यह नहीं कहा है कि उसने किस आधार पर अपनी आयु या जन्म तिथि बताई है। अभियोक्त्री का उसकी आयु के संबंध में बयान स्वयं विचार किए जाने हेतु का प्रश्न है। इस मामले में, केवल अभियोक्त्री का बयान उसकी जन्म तिथि साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं

[1] ए आई आर 1958 एस सी 143

है। अभियोक्त्री की आयु या जन्म तिथि के किसी प्रमाण के अभाव में यह कहना कठिन है कि अपराध के समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी।

16. वर्तमान अपीलकर्ता अशोक कुमार द्वारा अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संभोग के संबंध में, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से कहा है कि दिनांक 30.3.2005 को वह अपनी भाभी के गांव सुसदेगा से अपने गांव खरकट्टा वापस आ रही थी। वह बस स्टैंड पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी, उस समय अपीलकर्ता आए और पूछा कि वह कहां जाना चाहती है। उसने उन्हें बताया कि वह गांव खरकट्टा जाना चाहती है, तब अपीलकर्ताओं ने उससे कहा कि वे भी मैक्स वैन से गांव खरकट्टा जा रहे हैं और मैक्स में बैठने का सुझाव दिया। वह उनके सुझाव से सहमत हो गई। अपीलकर्ता अशोक वाहन चला रहा था और दूसरा अपीलकर्ता उसके बगल में बैठा था। वह वाहन में दरवाजे की ओर बैठी थी। खरकट्टा से सुसदेगा की दूरी 20 किमी थी। रात्रि लगभग 11 बजे जब वे खरधोधी के पास पहुंचे, तो अपीलकर्ता अशोक कुमार ने वाहन रोका। दोनों अभियुक्तों ने उसे खींचकर जंगल के अन्दर ले गया और खेत में लिटाने के बाद, अपीलकर्ता अशोक कुमार ने उसके कपड़े उतारे और अपने कपड़े उतारने के बाद उसके साथ लैंगिक संभोग किया और उस समय उसके हाथ सह-अभियुक्त कैलाश द्वारा पकड़े गए थे और मुंह भी दबाया गया था। वह तुरंत अपने कपड़ों के साथ घटनास्थल से भाग गई और लछन के घर गई। अभियुक्त व्यक्ति उसका पीछा कर रहे थे। जब लछन और रोहित लाठी लेकर लछन के घर से बाहर आए और उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों का पीछा किया, तो वे अपने वाहन से भाग गए। वह लछन के घर रुकी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे वह स्कूल गई और परीक्षा में शामिल हुई। उसने अपने शिक्षक को घटना बताई। परीक्षा पूरी होने के बाद वह अपने घर आई और अपने पिता, चाचा और माता को घटना बताई और उसके बाद उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 दर्ज कराई। उसका अधोवस्त्र प्रदर्श पी/2 के रूप में जब्त किया गया। स्थल नक्शा प्रदर्श पी/3 के रूप में तैयार किया गया। उसकी अंकसूची और जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी/5 और पी/6) प्रदर्श पी/4 के रूप में जब्त किए गए। उसने विशेष रूप से कहा है कि उसने अपीलकर्ता अशोक को संभोग के लिए सहमति नहीं दी थी। कावल साय (अ.सा.-2) ने कहा है कि जब उसकी बेटी वापस आई तो उसने घटना बताई और फिर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। रोहित कुमार (अ.सा.-3) ने जब्ती (प्रदर्श पी/2, पी/7 और पी/8) का समर्थन किया है। एस.आर. भगत (अ.सा.-9) ने अपने विस्तृत साक्ष्य में जांच का समर्थन किया है। डॉ. श्रीमती के. तिर्की (अ.सा.-4) द्वारा उसकी जांच की गई जिन्होंने अभियोक्त्री के हाइमन पर सूजन पाई। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि उसके साथ लैंगिक संभोग किया गया था । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका-9 में स्वीकार किया है कि निजी अंग में चोट अन्य कारणों से भी हो सकती

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है। डॉ. श्रीमती के. तिर्की के साक्ष्य और रिपोर्ट प्रदर्श पी/9 से पता चलता है कि अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संभोग किया गया था ।

17. लछन साय (ब.सा.-1) ने कहा है कि घटना की तारीख को रोहित खरधोधी में मौजूद था। वह अभियोक्त्री का इंतजार कर रहा था। अभियोक्त्री लगभग 5.30 बजे मार्शल से आई तब रोहित अभियोक्त्री के साथ गया। अभियोक्त्री उनके घर नहीं रुकी थी। उनके प्रेम संबंध थे। उन्होंने कहा है कि रोहित और अभियोक्त्री के प्रेम संबंधों के बारे में पंचायत बुलाई गई थी और दस्तावेज भी तैयार किए गए थे ।

18. इस मामले में, अभियोक्त्री उसके साथ अपराध के संबंध में एकमात्र मुख्य गवाह है। बचावपक्ष ने अभियोक्त्री की विस्तार से प्रति-परीक्षा की है। उसकी विस्तृत प्रति-परीक्षा में, उसने कहा है कि अपराध की तारीख को वह अपनी भाभी के मायके से आ रही थी। बचावपक्ष ने विशेष रूप से अभियोक्त्री को सुझाव दिया है कि वर्तमान अभियुक्त व्यक्ति मार्शल वाहन चला रहे थे और दोनों अभियुक्त व्यक्ति वाहन में मौजूद थे और कहा था कि वह परीक्षा में भाग लेने के लिए समय पर पहुंच जाएगी तब वह वाहन में चढ़ गई। अंततः, वे लछन के घर के पास पहुंचे जहां अभियुक्तों ने वाहन रोका। अभियोक्त्री को सुझाव देकर, अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे अभियोक्त्री के साथ अपने वाहन से सुसदेगा से घटनास्थल पर आए थे। अभियोक्त्री ने इस सुझाव से इनकार किया था कि घटनास्थल के पास वह स्वयं उतरी थी और इस सुझाव से भी इनकार किया था कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नहीं खींची गई थी। अभियोक्त्री ने विशेष रूप से कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा खींचने के बाद, अभियोक्त्री को घटनास्थल पर ले गया और अपीलकर्ता अशोक ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया। उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दूसरे दिन वे अपने पिता, चाचा और रोहित के साथ पठलगांव गए थे, लेकिन उसने रोहित के साथ किसी रिश्ते या प्रेम संबंध से इनकार किया है। उसने विशेष रूप से कहा है कि उसका नाम सोमबाई है न कि पद्मा बाई। कावल साय (अ.सा.-2) अभियोक्त्री के पिता ने भी अभियोक्त्री के रोहित के साथ किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। अभियोजन ने रोहित कुमार को अ.सा.-3 के रूप में परीक्षण कराया है जिसने भी अभियोक्त्री के साथ किसी रिश्ते से इनकार किया है, लेकिन विशेष रूप से अपनी प्रति-परीक्षा के कंडिका-4 में स्वीकार किया है कि जब अभियोक्त्री लछन के घर आई थी तो वह वहां मौजूद था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि जब अभियोक्त्री लछन के घर रुकी थी, तो उसने उसके साथ लैंगिक संभोग किया था। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से कहा है कि जब वह अभियुक्त व्यक्तियों के वाहन में अपनी भाभी के गांव से आ रही

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी, तो खरधोधी के पास, अपीलकर्ता अशोक ने वाहन रोका और दोनों अभियुक्तों ने उसे घटनास्थल पर ले गया और अपीलकर्ता अशोक ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया। उसने विशेष रूप से कहा है कि वह रात में लछन साय के घर रुकी थी और रोहित भी वहां मौजूद था।

19. अभियोजन ने लछन का परीक्षण नहीं कराया है, लेकिन बचावपक्ष ने लछन का परीक्षण कराया है जिसने विशेष रूप से कहा है कि घटना की तारीख पर अभियोक्त्री उसके घर नहीं रुकी थी बल्कि वह रोहित के साथ गई थी, इसके विपरीत बचावपक्ष ने अभियोक्त्री से कुछ भी नहीं पूछा है कि वह लछन के घर से रोहित के साथ गई थी। दूसरी ओर, बचावपक्ष ने रोहित कुमार (अ.सा.-3) को उसकी प्रति-परीक्षा के कंडिका-4 में विशेष रूप से सुझाव दिया है कि लछन के घर में अभियोक्त्री के रहने के दौरान, उसने उसके साथ लैंगिक संभोग किया था जिससे उसने विशेष रूप से इनकार किया है। यह सुझाव यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियोक्त्री लछन के घर रुकी थी और रोहित के साथ नहीं गई थी और इस तथ्य पर अविश्वास करने के लिए कि वह लछन के घर नहीं रुकी थी। उसने दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी बल्कि वह परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल गई थी और जब वह स्कूल से वापस आई, उसके बाद उसने अपनी माता, पिता और अन्य रिश्तेदारों को घटना बताई और अंततः उसने रिपोर्ट दर्ज कराई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. अभियोक्त्री एक किशोर लड़की है। वह स्कूल गई है और परीक्षा में शामिल हुई। उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय परीक्षा में शामिल होने को प्राथमिकता दी। यह सामूहिक बलात्कार का मामला है। सामान्यतः बलात्कार के मामले में तुरंत रिपोर्ट संभव नहीं होती और परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा और अन्य विचार के बाद, अभियोक्त्री और उसके माता-पिता रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर अभियोजन के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। उसका बयान चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है जो इस तथ्य का सुझाव देता है कि अभियोक्त्री के साथ घटना की अवधि के दौरान लैंगिक संभोग कारित किया गया । बचावपक्ष ने सुझाव दिया है कि रोहित ने लैंगिक संभोग किया था जिससे उसने विशेष रूप से इनकार किया है। अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता अशोक के विरुद्ध विशेष रूप से कहा है। बचावपक्ष द्वारा अभियोक्त्री को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि रोहित ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया था और वह वर्तमान अपीलकर्ताओं को फंसा रही है। बचावपक्ष ने अभियोक्त्री को कुछ भी सुझाव नहीं दिया है कि उसकी भाभी ने अभियुक्तों के वाहन से अपने दहेज के सामान का परिवहन कराया था या अभियोक्त्री ने किसी विवाद या शत्रुता के आधार पर वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभियोजन के गवाहों ने अभियोक्त्री के रोहित के साथ प्रेम संबंधों के सुझाव से इनकार किया है। अभियोक्त्री

के बयान की पुष्टि अनिवार्य नहीं है। पुष्टि विधि का नियम नहीं है बल्कि यह सावधानी और विवेक का नियम है।

21. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री का कथन चिकित्सा साक्ष्य और आंशिक रूप से उसके पिता कावल साय (अ.सा.-2), रोहित (अ.सा.-3) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) द्वारा पुष्ट है जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता अशोक ने उसकी सहमति और इच्छा के बिना उसके साथ लैंगिक संभोग किया है। अभियोक्त्री ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता अशोक द्वारा अपराध के समय, अपीलकर्ता कैलाश ने उसके हाथ पकड़े और मुंह दबाया। उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई है जिसमें यह तथ्य भी शामिल है। उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता अशोक द्वारा लैंगिक संभोग के बाद, वह तुरंत घटनास्थल से भाग गई और अपने को बचाने के लिए लछन के घर पहुंची। अभियुक्त व्यक्तियों ने भी उसका पीछा किया लेकिन जब लछन और रोहित द्वारा उनका पीछा किया गया, तो वे अपने वाहन से भाग गए। यह दिखाता है कि अपीलकर्ता कैलाश न केवल घटनास्थल पर मौजूद था बल्कि उसने अपराध कारित करने में सहयोग प्रदान किया और अपराध के बाद अभियोक्त्री का पीछा भी किया जो अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी दिखाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचन के बाद, विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष अभियोक्त्री के साक्ष्य पर आधारित है, जो सामूहिक बलात्कार के साथ निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र स्रोतों द्वारा भौतिक रूप से पुष्ट है। दोषसिद्धि विधिक साक्ष्य पर आधारित है और विधि के अंतर्गत स्थिर रखने योग्य है ।

23. दण्डादेश के प्रश्न के संबंध में, अपीलकर्ताओं को न्यूनतम निर्धारित दंड दिया गया है जिसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

24. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 437/2006 और 51/2008 गुणावगुण से रहित होने के कारण अपास्त होने योग्य हैं और एतद्द्वारा अपास्त की जाती हैं।

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur